



प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 13 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में कार्यरत कर्मिकों के वेतन भत्ते आदि को वहन करने हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद को सहायता मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-5097-5101/खा0ग्रा0बो0/लेखा/पी0यू0सी0/2025-26 दिनांक 31 मार्च, 2026 एवं वित्तीय सलाहकार, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-44-47/खा0ग्रा0बो0/लेखा/पी0यू0सी0/2025-26 दिनांक 08 अप्रैल, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यरत कर्मिकों के वेतन भत्ते आदि के खर्चों को वहन करने हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद को सहायता-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि रु0 6000.00 लाख (रूपये साठ करोड़ मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के निर्वर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि की स्वीकृति की जा रही है।
- (3) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा स्वीकृत मानक मदों के अनुरूप किया जायेगा। बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वेतन मद में आवंटित धनराशि का उपयोग मात्र नियमित कर्मिकों के वेतन भुगतान में ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय नियम संग्रह-5 भाग-1 के प्रस्तर-369(एच) के अनुसार निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज व मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्यूटर एण्ड आडीटर जनरल भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिये भी उपलब्ध रहेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 60,00,00,000 (रुपये साठ करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 005 लेखा शीर्षक 2851001050300** खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता **मानक मद 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)** के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-16/2026/189/59-2-2026/001-1804886 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 7- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।